तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर जो तामि[illegible]
24.12.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उप.। प्रकरण में उपस्थित अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। मूल निगरानी के निस्तारण तक ज़ेर निगरानी भूखण्ड / सम्पति को संरक्षित रखा जाना आवश्यक हैं, ताकि वाद बाहुल्यता व वैधानिक पेचीदगीयों में अनावश्यक अभिवृद्धि न हो। अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 की उपधारा (2) के प्रावधानान्तर्गत आदेश दिया जाता है कि पत्रावली में मूल पत्रावली के निर्णीत होने तक उभयपक्ष मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, हस्तान्तरण एवं खुर्दबुर्द नहीं करेंगे एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगें। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

Scanned with OKEN Scanner